

(राजनीतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार-पत्रों/टीवी में प्रकाशित हेतु)

दल द्वारा खड़े किये गए अभ्यर्थियों के अपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सां. 536 (पब्लिक इंटरैस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम: इंडियन नेशनल कांग्रेस

निर्वाचन का नाम: लोकसभा निर्वाचन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम: मध्यप्रदेश

1.	2.	3.	4.		5.	
क्र सं	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लंबित अपराधिक मामले		अपराधिक मामले के लिए दोष सिद्धी के विषय के संबंध में विवरण	
			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएँ और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश(शों) की तारीख	अपराध(धों) और अधिरोपित किये गए दण्ड का विवरण
1	अजय अर्जुन सिंह	लोकसभा क्षेत्र क्र. 11-सीधी (मध्यप्रदेश)	(1) इक्कीसवे एडजे, भोपाल आर.टी. 8825/13 अब हस्तांतरित एस.सी. पीपीएम 84/18 (गवाही)	धारा 500 भारतीय दण्ड संहिता (मानहानी)	लागू नहीं	लागू नहीं
			(2) जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर अब हस्तांतरित जिला न्यायालय भोपाल आर.टी. 3828/06 अब हस्तांतरित एस.सी. पीपीएम 42/19 (अन्य अभियुक्तों के खिलाफ समन एवं तामीली हेतु)	धारा 341,147 एवं 149 भारतीय दण्ड संहिता (जनहित में धरना एवं प्रदर्शन)	लागू नहीं	लागू नहीं

2	कमल सिंह मरावी		न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला मण्डला, मामला संख्या - 900448/2019	धारा - 147,427,794,506,332,186,353 भा.द.वि.	19/10/2016	हाँ
3	कांतिलाल भूरिया	लोकसभा क्षेत्र क्र. 24- रतलाम	प्रकरण विचाराधीन होकर पेशी दिनांक 29.04.2019 नियत है।	धारा 188/448 भा. द.सं.	29/04/2019	लागू नहीं
4	बाबूलाल मालवीय	लोकसभा क्षेत्र क्र. 22- उज्जैन	उपरोक्त अपराध जिस पर से उदभूत हुआ है, उसके विरुद्ध प्रार्थी ने माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी उज्जैन के यहां पर प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर रखी है जो प्रकरण क्रमांक 0/08 पर विचाराधीन है।	धारा 309 भारतीय दण्ड संहिता		लागू नहीं
5	रामनिवास रावत	लोकसभा क्षेत्र क्र. 1- मुरैना	एस.सी.पी.पी. एम. 115/18 अभियोजन साक्ष्य हेतु	धारा 294,323,147,109 भा.द.वि. विधि विरुद्ध जमाव कर झगडा होना	निरंक	निरंक
6	पंकज संघवी	लोकसभा क्षेत्र क्र. 26- इंदौर	पी.एस. कोतवाली धार,551दि. 29.09.2018	धारा 420 भा.द.वि. और धारा 34 भा.द.वि.		लागू नहीं
			पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली इंदौर 409/82	धारा 147,148,323,336,506 भा.द.वि.		लागू नहीं
			पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली इंदौर 616/81	धारा 147,426,341, भा.द.वि.		लागू नहीं
			पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली इंदौर 680/80	धारा 147,148,323,341, भा.द.वि.		लागू नहीं

7	दिग्विजय सिंह	लोकसभा क्षेत्र क्र. 19- भोपाल	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल एफ.आई.आर. सं. 35/15	अपराध अंतर्गत धारा 420,467,468,471,120-B भा.द.वि. धारा 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि. अधिनियम		लागू नहीं
			थाना श्यामलाहिल्स भोपाल म.प्र. एफ.आई.आर. सं. 176/18	अपराध अंतर्गत धारा 465,468,469,471,472,474 व 120(बी) भा.द.वि.		लागू नहीं
			निरंक (प्रकरण धारा 397 एवं 399 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तरगत पुनरिक्षण याचिका है)	प्रकरण धारा 397 एवं 399 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तरगत पुनरिक्षण याचिका है जो अपराध अंतर्गत धारा 500 एवं 501 भा.द.वि. के संबंध में है		लागू नहीं
			निरंक (प्रकरण धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तरगत पंजीवध्द परिवाद है)	धारा 500 एवं 501 भा.द.वि.		लागू नहीं
			थाना जहागीराबाद भोपाल म.प्र. एफ.आई.आर. सं. 153/15	धारा 420,467,468,471,120(बी) भा.द.वि. एवं धारा 13(1) डी. सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988		लागू नहीं
			निरंक (प्रकरण धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तरगत पंजीवध्द परिवाद है)	धारा 504 भा.द.वि.		लागू नहीं
			निरंक (प्रकरण धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तरगत प्रस्तुत याचिका है)	482 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तरगत प्रस्तुत याचिका है जो याचिका कर्ता द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय सिरसा के द्वारा पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 147/2012 में पारित निर्णय दिनांक 30/01/2013 के विरुद्ध ओमप्रकाश बंसल द्वारा प्रस्तुत की द्वारा प्रस्तुत की गई है		लागू नहीं
			थाना जीवाजीगंज उज्जैन म.प्र. एफ.आई.आर. सं. 238/11	धारा 323/34,324/34,326/34 भा.द.वि.		लागू नहीं

			परिवाद-उत्तम चंद इसराणी व अन्य विरुद्ध रमेश चंद अग्रवाल व अन्य (अभियुक्त दिग्विजय सिंह)	अपराध अंतर्गत धारा 500 भा.द.वि.		लागू नहीं
--	--	--	--	---------------------------------	--	-----------

राज्य सभा के निर्वाचन और विधान सभा सदस्यों द्वारा, विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टिप्पणी :- (i) उपयुक्त सूचना प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए राज्य-वार प्रकाशित की जाएगी।

(ii) समाचार-पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।